28 3/18 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष के वकील उपस्थित। उभय पक्ष के वकीलों द्वारा पूर्व मे लिखित बहस प्रस्तुत कि गई जो शामिल पत्रावली की गई। उभय पक्ष के वकीलों की बहस भी पूर्व मे सुनी जा चूकी है।

वकील प्रार्थी द्वारा बहस मे बताया गया कि मौजा चक डूंगरपुर तहसील डूंगरपुर मे आराजी नम्बर 35 से लगाय 48 व आराजी नम्बर 62 से लगाय 66 तथा आराजी नम्बर 76 कुल किता 52 रकबा 5.05 हैक्टर भूमी स्थित है। यह जमीन पन्नाजी व भीखाजी भाई को महारावल डूंगरपुर से 51 बीघा 8 बिस्वा 2 डूंगरा जमीन दिनांक 06.06.1953 को प्राप्त हुई उक्त जमीन मे से भीखा भाई ने कुल किता 10 रकबा 20 बीघा 9 बिस्वा जमीन मे से 6 बीघा भूमी सुरज पत्नि भंवरलाल प्रजापत को बेचान कर कब्जा मौके पर सन्1970 मे ही करा दिया गया था, तथा बेचानामा दिनांक 20.02.1981 भीखा द्वारा सुरज के हक मे निष्पादित कर दिया गया था। सुरज बाई पत्नि भंवरलाल प्रजापत से उक्त 6 बीघा जमीन वादीगण ने जरिये विक्रय इकरार दिनांक 24.05.1999 को एक लाख एक हजार रूपया मे खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया, तब से उक्त भूमी पर काबिज है। 12 वर्षो से भी अधिक समय से वादीगण का लगातार शांतिपूर्वक कब्जा चला रहे इस आधार पर वादीगण प्रतिकुल कब्जे के आधार पर मालिक काबिज का कानूनी खातेदार व काश्तकार बन चूका है। मौके पर जिस भूमी का वादीगण को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द किया गया उस जमीन के आराजी नम्बर 42 रकबा 0.52 हैक्टर, आराजी नम्बर 43 रकबा 0.40 है कुल किता 2 रकबा 0.92 हैक्टर है। इसी जमीन को भीखाजी व पन्नाजी द्वारा 1973 मे विपक्षी संख्या 1 को विक्रय कर दिया जो दौबारा विक्रय कि परिभाषा मे आता है, जो कानूनन नल एण्ड वोइड होने से प्रारम्भ से ही शुन्य है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमी जिसके संबंध मे इस न्यायालय मे एक वाद विचाराधीन है, मे प्रथम दृष्टिया मामला प्रार्थी के पक्ष मे बनता है एवं प्रार्थी को इस न्यायालय मे विचाराधीन वाद मे सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। सन् 1999 से प्रार्थीगण का लगातार कब्जा चला रहे इसलिए सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष मे है। वकील प्रार्थी द्वारा आगे बताया गया कि वादग्रस्त भूमी के संबंध मे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही कि गई तो विपक्षीगण तथा जमीन के खरीददार निमार्ण कार्य कर देंगे जिससे दावे का उद्वेश्य ही समाप्त हो जायेगा एवं प्रार्थी को अपूर्णनिय क्षति होगी। साथ ही वकील प्रार्थी द्वारा लिखित बहस एवं प्रार्थना–पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराया।

वकील अप्रार्थी संख्या 1–4 ने बहस मे बताया कि प्रार्थीगण ने आराजी नम्बर 42 रकबा 0.52 हैक्टर, आराजी नम्बर 43 रकबा 0.40 है कुल किता 2 रकबा 0.92 हैक्टर यानी 6 बीघा भूमी पर प्रतीकुल कब्जे एवं तथाकथित विक्रय इकरार दिनांक 24.05.1999 को आधार बनाकर वाद प्रस्तुत किया है। विक्रय इकरार मे गत सेटलमेन्ट अथवा वर्तमान सेटलमेन्ट के खसरा नम्बर अंकित नही है। प्रार्थीगण ने इसी तथाकथित दस्तावेज दिनांक 24.05.1999 को आधार बनाकर पूर्व मे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर मे वाद संख्या 59/2002 श्रीमती सुरज भाई एवं तहसीलदार डूंगरपुर के विरूद्व प्रस्तुत किया

Scanned by CamScanner

था जिसमे दिनांक 24.05.1999 के दस्तावेज के खसरा नम्बर 68 से 73, 79,80 अंकित किये थे जबकी वर्तमान वाद मे खसरा नम्बर 42 व 43 बताये है। उक्त वाद दिनांक 13.10.2003 को खारीज किया गया था तत्पश्चात् प्रार्थी ने उक्त निर्णय तथा डिक्री के विरूद्व प्रथम अपील राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के न्यायालय मे अपील संख्या 14/2003 प्रस्तुत कि जो दिनांक 23.03.2007 को निरस्त कि गई। तत्पश्चात् प्रार्थीगण ने उसकी द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे अपील संख्या 5748/2007 प्रस्तुत कि जिसे दिनांक 07.12.2015 को विस्तृत विवेचन के पश्चात् अपील निरस्त कि गई। वकील अप्रार्थी ने आगे बताया कि इस प्रकार प्रार्थीगण धारा 115 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत विधि द्वारा वर्जित है। वादीगण RULE OF ESTOPPEL यानि विबंधन के सिद्वांत से बाधित है तथा एक ही दस्तावेज के बारे मे अलग–अलग न्यायालय मे अलग–अलग कथन नही कर सकते। प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना–पत्र एवं मूल वाद छल एवं कपट पूर्वक विपक्षिगण व अन्य कि भूमी हडपने से प्रस्तुत किया गया है इसलिए निरस्त किया जावे। साथ ही वकील अप्रार्थी द्वारा लिखित बहस एवं जवाब प्रार्थना–पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराया।

उभय पक्ष के विद्वान वकिलो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/साईटेशन का अवलोकन किया। पत्रावली में सलग्न ग्राम चक डूगरपुर पटवार हल्का डूंगरपुर की संवत् 2049 से 2052 की जमाबंदी की प्रति के अनुसार खाता संख्या 20 नई 19 पुरानी कुल किता 22 रकबा 5.05 हैक्टर भूमि के किसी भी खसरे के प्रार्थीगण कभी भी रिकाडेर्ड खातेदार नही रहे है। प्रार्थीगण द्वारा विक्रय ईकरार दिनांक 24.05.1999 को आधार बना कर वाद प्रस्तुत किया गया है। विक्रय ईकरार के पश्चात् कोई रिजस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादीत किया गया हो ऐसी कोई तथ्य/दस्तावेज पत्रावली मे सलंग्न नही है। प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में भी इसी विक्रय आधार को लेकर एक वाद संख्या 59/2002 श्रीमती सुरज भाई एवं तहसीलदार डूंगरपुर के विरूद्व प्रस्तुत किया जो खारीज किया था जिसमें उक्त दस्तावेज के आधार पर खसरा नं0 68 से 73, 79 एवं 80 अंकित किये गये थे जबकि अब खसरा नं0 42 एवं 43 बताये गये है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नही बनता है। प्रार्थीगण द्वारा खसरा नं0 42 एवं 43 पर कब्जा होने के संबंध में कोई लिखित/दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नही किये है । अतः अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित नहीं समझता हूँ।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारीज किया जाता है।

पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

SDO
28/3/18

Scanned by CamScanner